

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

उपविभाग

बनाम चुकली देवी कोठ

कस्म मुकदमा

212 RTI RTI

मु.नं.

35

वर्ष

2019

दिनांक	आज्ञा पत्र
23/10/19	<p>पुजावली पेश हुई। वहीर प्रमाणित। जब प्रमाणित पत्रों को बार-बार काफ़ी मिल गई जैसी लेकिन न्यायालय कलक्टर ए.पि.ए.जी. काफ़ी बुरा बर्ताव करती व कलक्टर के प्रमाणित पत्र प्राप्त है। इसलिए कलक्टर को पत्र का धारा 212 RTI मिले तो कलक्टर को पत्र को कोई कानून न हो है। कलक्टर को पत्र कलक्टर धारा 212 RTI प्रमाणित कलक्टर करती व कलक्टर के प्रमाणित पत्र प्राप्त है। पुजावली प्रमाणित पत्र को बार-बार प्राप्त है। कलक्टर कलक्टर है। प्रमाणित पत्र प्राप्त।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर(मु.)सीकर</p>